

प्रदेश में सोमवार को करोना संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आई

राज्य में सोमवार को 9480 नए संक्रमित मिले, जबकि रविवार को 14112 रोगी पाए गए थे

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सोमवार को करोना संक्रमण के मामलों में काफी कमी आई है। इस दौरान राज्य में 9480 नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि इसके पीछे करोना की जांच के काम होना बताया जा रहा है। इधर राज्य में पिछले चौबीस घंटों में करोना से 23 और लोगों की मौत भी गई है।

प्रदेश में सोमवार को 22 हजार 376 जांचों पर 9480 नए करोना संक्रमित मिले हैं। इससे रविवार को 60 हजार 726 जांचों पर 14112 रोगी मिले थे। जांच करने के कारण राज्य में एक ही दिन में 4632 और जयपुर में 1242 मरीजों का क्रम मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को सकारी अस्पतालों के सुबह 9 से 11 बजे तक ही खुले रहने के कारण मात्र दो घंटे ही सैम्प्ल लिए जाते हैं। इस कारण रोकवार को सैम्प्लिंग का काम होने से अगले दिन संक्रमितों की

■ संक्रमितों की संख्या में कमी आने के पीछे जांचे कम होना बताया जा रहा है। इस दौरान पिछले चौबीस घंटों के बीच 22 हजार जांचे ही की गई।

■ राजधानी जयपुर में 2424 नए संक्रमित मिले हैं।

■ इस बीच, प्रदेश में करोना से 23 और लोगों की मौत हो गई है।

संख्या में कमी आ जाती है। वाकी अन्य कार्य दिवस में पूरे समय अस्पतालों के खुलने से दिनभर सैम्प्लिंग का काम होने से अगले दिन संक्रमितों की लिए जाते हैं।

इधर राजधानी जयपुर में भी सोमवार को नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। इस दौरान जिले में 2424 नए रोगी पाए गए हैं। इसके अलावा अलवर में 754, जोधपुर में 621, इंदौर में 587, मौत हुई है। इसके साथ ही जयपुर में 488, उदयपुर में 457, चिंतौड़गढ़ में 394, अजमेर में 391, हुनुमानगढ़ में 359, भौलाडा बीमोरी से 9118 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर अलवर में 353, सोकर में 311, कटा में 283, पाली में 251, बांसवाडा में 237, ज्ञानावाड में 206, बीकानेर में 200, प्रापापगढ़ में 183, भूतपुर में 142, झुंझुनू में 132, बारां व बालूपर में 130-130, धौलपुर में 125, राजसमंद में 118, सिरीही में 108, सर्वांग माओरपुर में 107, गांगानगर में 103, करोनी में 97, गांगानगर में 92, टोके में 77, दौसा में 64, बूटी में 43, जालौर में 41, जैसलमेर में 32 और चूल में 27 नए संक्रमित मिले हैं।

इधर राज्य में सोमवार को करोना से 23 और लोगों की मौत हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा 5 जोधपुर में और 4 लोगों की मौत जयपुर में हुई है।

कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया भर्तियों का कैलेंडर

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को इस वर्ष की अप्रैल को प्रतिवारित है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रयोगशाला सहायता की भर्तियों को कैलेंडर जारी किया है। इस वर्ष 7, 8 और 9 मई को होगी। ग्राम विकास अधिकारी अधिकारी अधिकारी भर्ती परीक्षा 18-19 जून को, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा जुलाई में, पशुधन सहायक कार्यक्रम जयपुर में वर्षुल अप्रैल तक होगी। इसके बाद 20 जून को, आयोजित किया जायेगा। युपा ने बताया कि पशुधन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल अवस्थी एवं सुनेश गुरुजर जुड़ेंगे।

कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव विश्वास के लिए सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने रुक्षर राज शर्मा ने बताया कि सहायक भर्ती की परीक्षा मई



रोडा एक्ट संशोधन संघर्षी विधेयक पास करवाने के लिए सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने राजभवन धेराव का ऐलान कर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा।

मंत्री पद से हटाए गए तीनों नेताओं को मिली वाई श्रेणी सुरक्षा

जयपुर, (का.प्र.). प्रदेश की गहलोत सरकार ने कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा बढ़ाते हुए तीन नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासार और राज शर्मा और एक मंत्री रुद्ध शर्मा, पंजाब प्रभारी और एक मंत्री हरीश चौधरी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। वह तीनों नेता हाल ही भौंक पर होता है। इन तीनों नेता हाल ही भौंक पर रुद्ध शर्मा जीवनी विधायिका को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का नियन्य किया है। डोटासार, हरीश चौधरी को संशोधन एक्स्ट्री भी मिलेंगे।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास पर अनुसार दूसरे अलवती आदेश के नेताओं को आशाकारी की सुरक्षा देने की सुझौता देने का नियन्य किया है। इसके बाद जयपुर के विधायिका की सुरक्षा देने का नियन्य किया जायेगा।

जयपुर, (का.प्र.). राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवती आदेश के बावजूद कानिःपत्र अधियंतरों के प्रतास प